



Office of the Accountant General (A&E), Kerala,

P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-101/UP

Dated: 14/11/2017

To

All District/Sub Treasury Officers ✓

Sir,

Sub: Uttar Pradesh State Legislature (Achievements and Pension of Members) (26th Amendment) Rules, 2017 reg.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/LID-7245,4985,16349 dated 06/09/2017 of Principal Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.Notification No. 301/90-No.1-2017-53 No.2002 dated 15/06/2017 of Parliamentary Affairs Section-1, Government of Uttar Pradesh.


I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Uttar Pradesh State Legislature (Achievements and Pension of Members) (26th Amendment) Rules, 2017 forwarded to this office with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- **“Treasury endorsement of orders for other state pensioners”**. A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram


Sr. Accounts Officer


Sr. Accounts Officer

PM/2/321/2017-18

22/9/12

20/9/17

PM 23/7/2017

95.09.17



सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक:-पेंशन विविध/LID-7245,4985,16349

SSA-DR Dy-115/711

दिनांक 06.09-2017

सेवा में,

AG(A&E) Kerela, Thiruvananthapuram. 695039

- विषय:-
1. उ0प्र0 शासन संख्या 301/90-1-2017-53 सं-2002 दिनांक 15.06.2017
 2. वित्त (आयोग) अनुभाग-2 शासनादेश संख्या वे0आ0-2-401/2017/ दस-2017 दिनांक 31.05.2017.
 3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 3/2017 वे0आ0-1-465/ दस-2017-8(एम) /2016 दिनांक 13.07.2017.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की

जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों /पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

PI 9 for 10-9

20/9/17

Pl. Transfer to Engr P. 1 to P. 30

20/9/17

Office of the Principal Accountant General (A&E) II
20 Sarojini Naidu Marg U.P. Allahabad
Phones : Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Letter No :- Pension Miscellaneous/LID – 7245,4985,16349
SSA-DR Dy – 115/711

Dated : 06.09.2017

To

AG (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram - 695039

Sub :-

1. Government of U.P. No. 301/90-1-2017-53 No. 2002 dated 15.06.2017
2. Finance (Commission) Section - 2 GO No. P.C.-2-401/2017/X-2017. dated 31.05.2017
3. Finance (Pay Commission) Section-1 GO No. 3/2017 P.C.-1-465/X-2017-8(M)/2016 dated 13.07.2017

Sir,

Copies of the above orders issued by the Department of Finance, Government of U.P. are being sent enclosed herewith.

Therefore, you are requested that the above orders may be circulated to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and direction may be given for taking action as per rules and a copy may please be forwarded to this office also.

Enclosed : As above

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/
Pension Miscellaneous

उत्तर प्रदेश शासन
संसदीय कार्य अनुभाग-1
संख्या-301/90-सं-1-2017-53सं/2002
लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2017

101
2/11/12

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के साथ पठित धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नया नियम 19 ग का बढ़ाया जाना

- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) नियमावली, 1981 जिसे आगे उक्त नियमावली, कहा गया है, में नियम 19-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“19 ग- प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उसे अनुमन्य रेल कूपनों में से प्रपत्र ‘ड. ड. ड.’ में प्रतिवर्ष 01 जून से 31 अगस्त के मध्य अपना विकल्प देने पर उसके निजी वाहन के लिए पेट्रोल या डीजल हेतु पचास हजार रुपये से अनधिक की धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।”

नया प्रपत्र ‘ड. ड. ड.’ का बढ़ाया जाना

- उक्त नियमावली में प्रपत्र “ड. ड.” के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-



88

“प्रपत्र ड. ड. ड.

(नियम 19 ग देखिये)

1. भूतपूर्व सदस्य का नाम----- (भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा/भूतपूर्व
सदस्य, विधान परिषद्)

2. जिला-----

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपने निजी वाहन का उपयोग
किया है ।

मैं विकल्प देता/देती हूँ कि कूपन वर्ष ----- के दौरान मुझे दिये जाने वाले
रेल कूपनों में से मेरे निजी वाहन के लिए पेट्रोल या डीजल हेतु सम मूल्य के रेल कूपनों
के बजाय इस वर्ष मुझे ----- रुपये नकद दिया जाय ।

:हस्ताक्षर-----

दिनांक-----”

आज्ञा से,



(सुरेश कुमार गुप्ता)

प्रमुख सचिव ।

संख्या-301 (1)/90-सं-1-2017-53सं/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक प्रभारी, राजकीय
मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना
को दिनांक/5 जून, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) में
प्रकाशित करने तथा उसकी 1,100 प्रतियाँ शासन के संसदीय कार्य अनुभाग-1 को तुरन्त
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(सुरेश कुमार गुप्ता)

प्रमुख सचिव ।

